न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 54/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/440

अपीलाण्ट :—
श्रीमती भीकी पुत्री श्री भीमाराम पत्नी श्री राजराम जाति सिरवी, निवासी ग्राम डिंगाई, तहसील पाली, जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. श्रीमती प्यारी पत्नी श्री मोहनलाल, जाति सिरवी निवासी कानला, तहसील पाली जिला पाली।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली
3. भू—अभिलेख पटवारी,ग्राम गुन्दोज प्रथम जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल
सरकारी पेरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 06.05.2024

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम बडेरवास के नामान्तरकरण संख्या 2959 दिनांक 17.05.2018 जो नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पो. संख्या 1 की ओर से श्री अर्जुन सिंह वक्त बहस अनुपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो व वक्त बहस कथन किया कि मौजा गुन्दोज प्रथम में वर्तमान खसरा नम्बर 867 रकबा 14 बिघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में अपीलाण्ट के द्वारा वगताराम पुत्र श्री हुकमाराम के नाम खातेदारी में जमाबंदी सम्वत् 2019 सें 2022 के अनुसार दर्ज है। वगताराम का देहान्त हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 1376 के द्वारा चतरा, भीमा, पुकीया पिसरान वगताराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुये। इस प्रकार तीन पुत्रों में प्रत्येक का हिस्सा 1/3—1/3 रहा। अपीलाण्ट द्वारा माननीय सहायक कलेक्टर महोदय, पाली के यहां राजस्व वाद संख्या 3/2018 अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दिनांक 19.01.2018 को भीमाराम, श्रीमती सुखी बेन एवं तहसीलदार, पाली के विरूद्ध वाद एवं धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 22.01.2018 को दर्ज होकर नोटिस जारी करने के आदेश किये गये है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 6/2018 भीकी बनाम भीमाराम में पारित दिनांक

03.05.2018 को स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए नायब तहसीलदार, पाली द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण गलत रूप से दर्ज किया गया है।

जैर आराजी में वगताराम के देहान्त के समय अपीलाण्ट एवं उसकी बहिन सुखी बेन जीवित थे। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनके जन्म से ही वगताराम की सम्पत्ति में उनके हक अधिकार स्थापित हो गये। इसी आधार पर भीकी देवी द्वारा माननीय सहायक कलेक्टर के यहां बंटवाडे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमें स्थगन होने के उपरान्त भी भीमाराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 22.02.2018 को 1/3 हिस्से का बेचाणनामा गलत एवं गैर कानूनी रूप से निष्पादित कर पंजीयन करवा दिया। इस लिए उक्त नामान्तरकरण गलत एवं गैर कानूनी रूप से भरा गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गुन्दोज प्रथम में खसरा नम्बर 867 रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि वगताराम की खातेदारी थी तथा वगताराम की मृत्यु के पश्चात फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1376 के द्वारा उक्त भूमि चतरा, भीमा, पुखिया के नाम दर्ज हुयी जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/3–1/3 था। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा प्रकरण संख्या 6/18 में दिनांक 03.05.2018 को स्थगन होना बताया जबकि भीमाराम ने अपने हक हिस्से की जमीन दिनांक 22.02.2018 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। अपीलांट द्वारा अपील में वगताराम के कायम मुकामों को पक्षकार भी नहीं बनाया हैं। अतः अपील सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादित भूमि का विक्रय भीमा जो कि अपीलाण्ट के पिता है द्वारा दिनांक 22.02.2018 को रेस्पो. संख्या 01 प्यारी के पक्ष में किया गया एवं इस विक्रय पत्र का नामान्तरकरण दिनांक 27.04.2018 को पटवारी द्वारा दर्ज किया गया, दिनांक 16.05.2018 को गिरदावर द्वारा जांच किये जाने के बाद दिनांक 17.05.2018 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 03.05.2018 की आदेशिका प्रस्तुत की गई है जिसमें दोनों रेस्पो. संख्या 01 व 02 पक्षकार है अथवा नहीं तथा उन्हें उक्त स्थगन आदेश दिनांक 03.05.2018 की जानकारी है अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं होता। प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सहायक कलक्टर के यहां घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें भीमाराम एवं वादियां अपीलाण्ट की बहन सुखी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद के निर्णय से ही यह स्पष्ट होता है कि 15.05.2020 को भीमा का देहान्त हो चुका है तथा भीमा के देहान्त होने के बाद जिसके विरूद्ध राहत चाही गई है वह अनुतोष ही निष्फल हो जाता है क्योंकि भीमा से ही उक्त भूमि में अपना पुश्तैनी हक प्राप्त करने के लिए वाद दर्ज करवाया गया था। उक्त घोषणात्मक वाद में सहमति से दिनांक 02.07.2020 को अपीलाण्ट भीकी एवं उसकी बहन सुखी द्वारा राजीनामा

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत कर अपने आधे–आधे हिस्से की डिक्री प्राप्त की गई जबकि भीमा की मृत्यु के बाद वे स्वतः प्राकृतिक वारिस होते। अतएव उन्हे इसके बावजूद न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर आधे–आधे हिस्से की दोनों बहनों में राजीनामा के आधार पर डिक्री लाने की क्या आवश्यकता हुई, यह सामान्यतः समझ से परे है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मृतक भीमा अपने हिस्से का विक्रय रेस्पो. प्यारी को 22.02.2018 को ही कर चुका है तथा उक्त विक्रय से प्रभावित पक्षकार रेस्पो. संख्या 01 प्यारी व तहसीलदार को उक्त वाद में स्थगन आदेश की जानकारी होना प्रमाणित नहीं है तथा भीमा की उक्त भूमि coparcenary की भूमि हो यह भी रेकर्ड से स्पष्ट नहीं है। अपीलाण्ट की अपील का मुख्य लबो–लुआब स्थगन आदेश होने के बावजूद नामान्तरकरण दर्ज होने तथा न्यायालय की डिक्री होने के कारण विक्रय के नामान्तरकरण संख्या 2959 को अपास्त किये जाने से संबंधित है। प्रकरण में न्यायालय के स्थगन आदेश में प्यारी रेस्पो. संख्या 01, प्यारी जो कि क्रेता थी, पक्षकार नहीं थी। अतः स्थगन आदेश का प्रभाव उस पर किसी प्रकार नहीं पड़ता तथा तहसीलदार को भी उक्त स्थगन आदेश की जानकारी हो ऐसा कोई तथ्य भी रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार विक्रय के नामान्तरकरण में सद्भावी क्रेता जिसे स्थगन आदेश की जानकारी नहीं हो उसे अनावश्यक अपने क्रय किये गये अधिकारों से वंचित किया जाने का कोई तार्किक/न्यायिक आधार नहीं है। प्रकरण में जहां तक न्यायालय डिक्री का प्रश्न है, इस न्यायालय का उक्त डिक्री के बाद में ऊपर जो विवेचन किया गया है वह न्यायालय के निर्णय की डिक्री के आधार पर किया गया विवेचन है। यह न्यायालय उक्त डिक्री की वैधानिकता को सुनने की क्षेत्राधिकारिता नहीं रखता तथा न ही न्यायालय के नामान्तरकरण के पश्चातवृत्ति डिक्री के आधार पर पूर्व नामान्तरकरण को अपास्त किया जाना उचित समझता है। अपीलाण्ट के पास न्यायालय की डिक्री उपलब्ध है, अतएव उक्त डिक्री के आधार पर अपीलाण्ट अपने हक अधिकारों के लिए डिक्री की इजराय के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन आदेश को स्थगन से प्रभावित होना नहीं मानते तथा पश्चातवृत्ति डिक्री के आधार पर पूर्ववृति विक्रय नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने को उचित नहीं पाते। अपीलाण्ट इस हेतु सक्षम न्यायालय में इजराय हेतु चाराजोही करने को स्वतंत्र है। समग्र रूप से हम अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज करते है।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली